

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234689  
CG-DL-E-30032022-234689

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1451]  
No. 1451]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

आय-कर

का.आ. 1494(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) [इसके पश्चात् इसे अधिनियम कहा जाएगा] की धारा 206(ग) की उपधारा (1छ) के खंड (ii) के पांचवे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि 'अधिनियम' की धारा 6 के खंड (1) और खंड (1क) के निबंधनों के अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति, जो भारत का निवासी नहीं है, और वह भारत आ रहा है, पर धारा 206(ग) के उपधारा (1छ) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 20/2022/फा.सं. 370142/9/2022-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव